उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-82/1442/एक-1-2016-5(59)/2016

लखनऊ: दिनॉक: 22 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित लोक प्रयोजन की भूमि, जो इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित की गई थी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-1352/18-4-2016-8(4)/89 टी.सी., दिनॉक 11.08.2016 के क्रम में पुनर्ग्रहण करते हुए उत्तर प्रदेश इन्स्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेअर में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लखनऊ	सरोजनीनगर	बिजनौर	हरिहरपुर	632स	1.620	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए उत्तर प्रदेश इन्स्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना हेतु।
				योग	**कुल 01 गाटा**	**1.620 हे0**	

2. यह भी आदेश दिये जाते है कि इस आदेश की प्रतियॉ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा की जाय तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित की जाय। उक्त अधिसूचना को उस क्षेत्र में प्रचलित दो समाचार पत्रों, जिनमें से एक हिन्दी में होगा, में प्रकाशित किया जाय। उक्त की अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

shasnadesh.up.nic.in

-2-

3. जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के द्ष्टिगत उत्तर प्रदेश इन्स्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना हेतु ग्राम हरिहरपुर, परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ स्थित गाटा संख्या 632 स रकबा 1.620 हे0 भूमि का पुनर्ग्रहण नि:शुल्क किया जा रहा है। उक्त पुनर्ग्रहीत भूमि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जाती है।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1442(1)/एक-1-2016-5(59)/2016 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
4. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।
5. जिलाधिकारी, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-668/डीएलआरसी/2016,दिनॉक 28.10.2016 के सन्दर्भ में।
6. निदेशक, उत्तर प्रदेश इन्स्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, लखनऊ।
7. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, 96, महात्मा गॉधी मार्ग, इलाहाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in